152

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-2761-I-16

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी टीकमगढ

श्री आर. एस. सेंगर, अभि. द्वारा आज दि 16.8.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.8.16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. राजपाल सिंह पुत्र श्री दरयाब सिंह
2. भगवानदास पुत्र परम लोधी
3. लक्ष्मी पुत्र परम लोधी
4. इन्द्रपाल पुत्र दरयाब सिंह

समस्त निवासीगण – ग्राम धुतकडा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ

..........आवेदकगण

बनाम

1. गोविन्ददास पुत्र रद्धू अहिरवार
2. राजधर ,रमेश्वर ,काशीराम पुत्रगण रिल्ली अहिरवार
3. छक्की ,दीपचन्द्र पुत्रगण रिल्ली अहिरवार
4. लल्लू,रामपाल , राजाराम पुत्रगण छिदामी अहिरवार
5. आशाराम ,जयराम ,रमेश ,मुन्नालाल पुत्रगण अलमा अहिरवार
6. गोपाल ,छत्रपाल पुत्रगण नथू
7. नथुआ ,श्यामलाल पुत्रगण लपुंआ

समस्त निवासीगण ग्राम धुतकडा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र.

.... अनावेदकगण

Rssanger आर.एस.सेंगर ग्वालियर 16-8-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 183/ अपील/ 2010– 11 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्व निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2761–II/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–02–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धुतकड़ा तहसील पलेरा जिला टीकमढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 140/1 कुल रकवा 7 है0 का बंटन तहसील पलेरा द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–19अ/01–02 में पारित आदेश दिनांक 15–5–2002 द्वारा अनावेदकगण को पट्टा आवंटित किया गया। आवेदकगण को अनावेदक के पट्टे के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर आवेदकगण ने अभिभाषक से कानूनी सलाह प्राप्त कर अपील तैयार कराकर दिनांक 25–9–2011 को अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने प्रकरण कमांक 183/अपील/2010–11 पर दर्ज की गई सुनवाई उपरान्त दिनांक 25–7–2016 को अपील के अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दी जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के पूर्वजों के समय वर्ष 1970–71 से लगातार काबिज होकर कृषि कार्य करते आ रहे थे। आवेदकगण व उनके पूर्वजों द्वारा शासन को राजस्व अर्थदण्ड भुगतान किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई पट्टा प्रदान करने में अवैधानिकता की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण को पट्टे की जानकारी प्राप्त होने पर उनके द्वारा	

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि अनावेदकगण को विधिवत प्रकिया अपनाकर पट्टे प्रदाय किये गये हैं। आवेदकगण द्वारा अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है।

5/ दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की जांच किये बिना एवं अनावेदकगण को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पट्टे प्रदान किये गये है। तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्रश्नाधीन भूमि पर काफी समय से लगातार कब्जे के आधार शासकीय अर्थदण्ड भी भुगतान किया गया जिसका उल्लेख शासकीय अभिलेखों में होता है। उक्त तथ्य पर बिना विचार किये एवं रिकार्ड का अवलोकन किये बिना प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जेदार आवेदकगण के स्थान पर अनावेदकगण के हित में पट्टे प्रदाय करने में अवैधानकिता की गई है। इसलिए तहसीललदार जतारा का आदेश दिनांक 15–5–02 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है आवेदकगण को तहसील न्यायालय द्वारा

अपनाई गई पट्टे वितरण की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी इसलिए जानकारी दिनांक से आवेदकगण द्वारा की गई अपील को समयबाधित मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से अनुचित कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–7–2016 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार जतारा का आदेश निांक 15–5–2002 एवं अनुविभागीय अिधकारी जतारा का आदेश दिनांक 25–7–2016 निरस्त किये जाते हैं। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह0)
सदस्य